# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com


**वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 07.10.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, हिंदुस्तान, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।**

## अमर उजाला–दि० 07.10.2025

वीडीए ने सील की इमारत। स्रोतः स्वयं

### दो अवैध निर्माण किए सील

**वाराणसी।** वीडीए की ओर से सोमवार को दो अवैध निर्माण सील किए गए। सारनाथ वार्ड के बलुआ रोड के वेद प्रकाश मौर्या की ओर से बिना मानचित्र स्वीकृत 250 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में वाणिज्यिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। इसे सील किया गया। बलुआ रोड के तहत सुभाष राजभर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्माण कार्य करवा रहे थे। जिसे सील किया गया। जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार की अगुवाई में कार्रवाई की गई। ब्यूरो

## दैनिक जागरण–दि० 07.10.2025

### वीडीए ने अवैध प्लाटिंग पर लगाया दूसरा नोटिस बोर्ड

जागरण संवाददाता, पिंडरा : फूलपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में अवैध प्लाटिंग कर रहे भूमाफिया वीडीए के नोटिस बोर्ड को उखाड़ कर गायब कर दिए थे। जिसकी जानकारी होने पर वीडीए ने मंगलवार को पुनः नोटिस बोर्ड लगाया। रघुनाथपुर में 20 बीघे जमीन में अवैध प्लाटिंग हो रही थी। वीडीए के अधिकारियों ने बिना नक्शा पास कराए अवैध प्लाटिंग होने की जानकारी पर उक्त स्थान पर नोटिस बोर्ड लगा दिया था। दो दिन बाद ही भूमाफिया ने उक्त बोर्ड को उखाड़ गायब कर दिया था।

## दैनिक जागरण–दि0 07.10.2025

### सारनाथ में विकास प्राधिकरण ने दो अवैध निर्माण किए सील

**वाराणसी :** विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सोमवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन दो के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि सारनाथ वार्ड के बलुआ रोड पर वेद प्रकाश मौर्या बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कर रहे थे। अवैध निर्माण बंद कराते हुए भवन स्वामी को शमन मानचित्र दाखिल करने को कहा गया था लेकिन निर्माण बंद नहीं हुआ। पास में ही सुभाष राजभर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कर रहे थे। दोनों अवैध निर्माण को सील करते हुए भवन स्वामी को दोबारा निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी गई है। (जासं)

## आज–दि0 07.10.2025

### दो नवनिर्मित मकान सील

विकास प्राधिकरणके उपाध्यक्षके निर्देशपर अभियन्ताओंने सारनाथ वार्डमें दो नवनिर्मित मकानोंके विरुद्ध सीलिंगकी कारवाई की। सारनाथके बलुआ रोडपर स्थित वेदप्रकाश मौर्य नामक भवनस्वामी बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवनका निर्माण करा रहे थे। इसी प्रकार यहींपर सुभाष राजभर नामक भवनस्वामी बिना मानचित्र स्वीकृतिके भवन निर्माण करा रहे थे। दोनों स्थान पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अधिशासी अभियन्ता विनोद कुमार, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और पुलिसके सहयोगसे नवनिर्मित मकानोंको सील कर दिया और संबंधित थानेकी प्रतिरक्षामें सौंप दिया गया।

## न्यायाधीश–दि0 07.10.2025

### वाविप्रा जोन-02 में 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-02 में 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-सारनाथ, बलुआ रोड के अन्तर्गत वेद प्रकाश मौर्या द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 250 वर्गमीटर के क्षेत्रफल पर वाणिज्यिक भवन (बी़जी़1) का निर्माणकार्य कराया जा रहा था। उक्त निर्माणकार्य को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (ग) एवं 28 (ग) के अन्तर्गत आज दिनांक 06/10/2025 को सील किया गया ।वार्ड-सारनाथ, बलुआ रोड के अन्तर्गत शुभाष राजभर द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 120 वर्गमीटर के क्षेत्रफल पर भवन (जी़1) का निर्माणकार्य कराया जा रहा था। उक्त निर्माणकार्य को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (ग) एवं 28 (ग) के अन्तर्गत 06/10/2025 को सील किया गया ।मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार अधिशासी अभियंता विनोद कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

## भारत कनेक्ट संवाददाता–दि0 07.10.2025

### वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा दो अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी

**भारत कनेक्ट संवाददाता**

**वाराणसी।** वाराणसी विकास प्राधिकरण के वार्ड सारनाथ बलुआ रोड अन्तर्गत वेद प्रकाश मौर्या द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 250 वर्गमीटर के क्षेत्रफल पर वाणिज्यिक भवन (बी+जी+1) का निर्माण कार्य कराया जा रहा था । उक्त निर्माण कार्य को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27,28 ( ) एवं 28 ( ) के अन्तर्गत 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को सील किया गया`वार्ड सारनाथ बलुआ रोड के अन्तर्गत शुभाष राजभर द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 120 वर्गमीटर के क्षेत्रफल पर भवन (जी+1) का निर्माण कार्य कराया जा रहा था` उक्त निर्माणकार्य को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा- 27,28 ( ) एवं 28 ( ) के अन्तर्गत 6 अक्टूबर को सील किया गया । मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार अधिशासी अभियंता विनोद कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।